438

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह जे., के समक्ष, ।

रोहताश सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- प्रतिवादीगण

2018 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या. 17126

08 फरवरी, 2019

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984-धारा-एस. 31-हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016-नियम 143 (1)-सेवानिवृत्त एच. सी. एस.-की प्रबंध निदेशक सहकारी समिति के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया गया क्योंकि वे अब एच. सी. एस. (ई. बी.) के सदस्य नहीं थे, इसलिए सेवानिवृत्त एच. सी. एस. (ई. बी.) की निदेशक चीनी मिल के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया गया क्योंकि वे अयोग्य थे।

यह माना जाता है कि मूल परशन, जो अभी भी बड़ा है, यह है कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 5 बीर सिंह हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के सदस्य के रूप में बने रहे क्योंकि यह प्रत्यर्थी संख्या 4-चीनी मिल के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होने की मूल आवश्यकता है। दिनांक 30.04.2018 आदेश स्पष्ट रूप से बताता है कि श्री बीर सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति पर पुनः नियुक्ति दी गई थी।यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि उन्हें सेवा में विस्तार नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हें छह महीने की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया है।सहकारिता राज्य मंत्री के कार्यालय नोट के अवलोकन से यह भी पता चलेगा कि अनुरोध उन्हें पानीपत सहकारी चीनी मिल के प्रबंध निदेशक के रूप में विस्तार देने के लिए है, जिसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यहां तक कि दिनांक 03.10.2018 (अनुलग्नक/1-2) के आदेश में भी जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 5, के पुनः नियोजन के नियम और शर्तें शामिल हैं। श्री बीर सिंह-प्रतिवादी संख्या 5 बीर सिंह का उल्लेख एच. सी. एस. (सेवानिवृत्त) के रूप में किया गया है।इसलिए, उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का सदस्य होना बंद कर दिया और इसलिए, एक सहकारी समिति के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 31 की आवश्यकता को पूरा नहीं करेंगे।

(पैरा 16)

राजेश के. श्योराण, ए. ए. जी. हरियाणा

राज्य के लिए।

दीपक बाल्यान, अधिवक्ता

रोहताश सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

439

(ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.)

प्रत्यर्थी संख्या 3 के लिए।

दिव्य बजाज, अधिवक्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र सिंह राणा

प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 के लिए।

ऑगुस्टिन जॉर्ज मसीह, जे।

(1) यह याचिका भूमि पर गन्ना उगाने वाले एक किसान द्वारा दायर की गई है, जिसे प्रतिवादी संख्या 4 पानीपत सहकारी चीनी मिल लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'चीनी मिल' के रूप में संदर्भित किया गया है) को सौंपा गया है।वह उक्त चीनी मिल का शेयरधारक भी है।याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि प्रतिवादी संख्या 5 बीर सिंह को हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 31 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए चीनी मिल का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, इस आधार पर कि उन्होंने 30.04.2018 पर सेवानिवृत्ति प्राप्त कर ली है और इसलिए, हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) (इसके बाद ' एच. सी. एस. (ई.बी.)' के रूप में संदर्भित) का सदस्य नहीं रह गए हैं और उन्हें चीनी मिल के प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी अगली नियुक्ति के साथ 30.04.2018 (अनुलग्नक पी1) के आदेश के अनुसार 01.05.2018 से 31.10.2018 तक छह महीने की अवधि के लिए विस्तार नहीं दिया जा सकता था।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने पहले वर्ष 2006 से 2010 तक चीनी मिल के प्रबंध निदेशक के रूप में काम किया था, जब उनके खिलाफ जांच की गई थी और सतर्कता रिपोर्ट भी उनके खिलाफ गई थी और इसके अनुसरण में, उन्हें एक राशि जमा करनी पड़ी, जिसका उन्होंने गलत दावा किया था।उनका आगे का तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, केवल उसी व्यक्ति को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो अधिनियम की धारा 31 के तहत प्रदान किए गए एच.सी.एस. (ई.बी.) का सदस्य हो। 30.04.2018 पर सेवानिवृत्ति पर, प्रत्यर्थी संख्या 5 का एच. सी. एस. (ई. बी.) अधिकारी होना समाप्त हो गया और इसलिए, उन्हें सहायता क्षमता में फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम 2016 (इसके बाद '2016 नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 143 (1) अध्याय 11 के अनुसार, एक प्रशासनिक विभाग के पास दो साल की अवधि के लिए सेवानिवृत्ति की आयु के बाद एक सरकारी कर्मचारी को बनाए रखने की शक्ति है और पुनर्नियुक्ति के माध्यम से सेवा में इस तरह के प्रतिधारण को मंत्रिपरिषद की मंजूरी लेनी होगी।उनका तर्क है कि सेवा में प्रतिधारण या सेवा में विस्तार या पुनर्नियुक्ति, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद, केवल सार्वजनिक हित में और असाधारण परिस्थितियों में किया जा

सकता है और ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं हैं जो प्रतिवादी को इसका हकदार बनाती हैं।

सं. 5 को एच. सी. एस. (ई. बी.) संवर्ग में पुनर्नियुक्ति प्रदान की जाएगी।उनका दावा है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 का कोई असाधारण सेवा रिकॉर्ड नहीं है और न ही ऐसी स्थिति मौजूद है जिसके लिए उन्हें चीनी मिल के प्रबंध निदेशक के रूप में बने रहने की आवश्यकता होगी।आर. के. वर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि सेवानिवृत्ति की आयु से परे सेवा में विस्तार केवल लोक हित में या विशेष आवश्यकताओं में अनुमत है, जिनका सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवा में बनाए रखे बिना ध्यान नहीं रखा जा सकता है।एक व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज की जानी चाहिए जो न केवल सेवा की आवश्यकताओं की आवश्यकता के लिए बल्कि उसी को विनियमित करने वाले नियमों और निर्देशों के प्रावधानों की आवश्यकता के लिए भी दिमाग के अनुप्रयोग को दर्शाती है।यह मंजूरी केवल एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के कहने पर या याचिकाकर्ता के मामले में उसके पक्ष में एक मंत्री की सिफारिश पर नहीं दी जा सकती है।उनका तर्क है कि केवल इसलिए कि सहकारिता विभाग के मंत्री ने प्रतिवादी संख्या 5 को सेवा में फिर से नियुक्त करने की सिफारिश की है, सेवा में इस तरह के प्रतिधारण की अनुमति देने के लिए अपने आप में एक आधार नहीं हो सकता है।यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 5 का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।इस प्रकार, उनका तर्क है कि हरियाणा सरकार द्वारा पारित दिनांक 30.04.2018 (अनुलग्नक पी1) का विवादित आदेश कायम नहीं रह सकता है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

(3) दूसरी ओर, राज्य प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय में साफ हाथों से नहीं आया है क्योंकि अधिनियम की सही प्रचलित धारा 31 को पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है।संशोधन, जिसे वर्ष 2006 में अधिनियम की धारा 31 में जोड़ा गया है, जानबूझकर रिट याचिका के मुख्य भाग में पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है।धारा 31 (1) के प्रावधान में शामिल किए जाने के अनुसार, पेशेवर योग्यता और अनुभव वाले व्यक्ति को सहकारी समिति के प्रबंध निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है।2016 के नियमों के नियम 143 के संदर्भ में, प्रत्यर्थी संख्या 1 के वकील ने उत्तर की प्रारंभिक प्रस्तुतियों के पैरा 4 का उल्लेख करते हुए तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 की अति-सेवानिवृत्ति से पहले, सहकारिता राज्य मंत्री से संख्या 326 दिनांक 16.03 .2018 कार्यालय नोट प्राप्त हुआ था, जिसमें 10 वर्षों से अधिक के विशाल अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 5 को फिर से नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी, जो प्रत्यर्थी संख्या 5 को सहकारी चीनी मिल, पानीपत, रोहतक और असंध के प्रबंध निदेशक के रूप में था और साथ ही वह चीनी मिलों और आसवनी इकाइयों के कामकाज से अच्छी तरह से परिचित था।इसके अलावा, पानीपत सहकारी चीनी मिल को स्थानांतरित करने की परियोजना।

रोहताश सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

441

(ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.)

क्षमता बढ़ाने के लिए मौजूदा स्थल से दूसरे स्थान पर, जो प्रगति पर था और जो शुरुआत से ही परियोजना को संभाल रहा था, प्रत्यर्थी संख्या 5 की सेवा को छह महीने की अवधि के लिए या प्रत्यर्थी संख्या 4 चीनी मिल के नए चीनी परिसर के सफलतापूर्वक पूरा होने तक बढ़ाने की सिफारिश की गई थी।प्रतिवादी संख्या 5 की पुनर्नियुक्ति के उक्त प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद द्वारा अपनी दिनांकित 25.09.2018 की बैठक में छह महीने की अवधि के लिए पूर्व-कार्योत्तर मंजूरी दी गई थी और पुनर्विचार पर, नियम 31 के अनुसार, मंत्रिपरिषद की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। प्रत्यर्थी संख्या 5 के पुनर्नियुक्ति के नियमों और शर्तों को भी अंतिम रूप दिया गया है और दिनांक 03/04.10.2018 (अनुलग्नक आर 1/2) के आदेश के माध्यम से यह दावा किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 की सभी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अच्छी हैं और कार्मिक विभाग में उनकी सेवानिवृत्ति के समय उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या सतर्कता जांच लंबित नहीं थी। उपरोक्त के आधार पर, वे इस बात पर जोर देते हैं कि पानीपत सहकारी चीनी मिल को 1800 टी. सी. डी. से 5000 टी. सी. डी. की बढ़ी हुई क्षमता के साथ 18 मेगावाट के सह-उत्पादन संयंत्र के साथ-साथ 45 के. एल. पी. डी. आसवनी/इथेनॉल संयंत्र प्लांट , जो प्रगति पर था, जो उनके द्वारा शुरू से ही संभाला जा रहा था, के साथ मौजूदा स्थल से दहर में नए स्थल पर स्थानांतरित करने के उनके अनुभव और उनके संचालन को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकता बहुत अधिक थी, जिसने सरकार को संयंत्र के सुचारू स्थानांतरण/स्थानांतरण के लिए छह महीने की अवधि के लिए उन्हें फिर से नियुक्त करने का निर्णय लेने के लिए राजी किया।इस प्रकार, उनका तर्क है कि वैधानिक प्रावधानों और नियमों की शर्तों को पूरा करने वाले राज्य द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(4) प्रतिवादी संख्या 5 के वकील ने राज्य के वकील द्वारा जो दावा किया गया है उसे दोहराने के अलावा कहा है कि प्रतिवादी संख्या 5 के खिलाफ शुरू की गई सतर्कता जांच, उसके द्वारा प्राप्त कुछ अतिरिक्त भुगतानों में समाप्त हो गई है, जो भुगतान प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा स्पष्टीकरण और सलाह के बाद 11.03.2010 पर जमा किए गए हैं, जैसा कि तत्कालीन प्रबंध निदेशक से प्राप्त हुआ था।पूछताछ अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से कुछ भी अवैध या अनियमित नहीं पाया गया।उनका तर्क है कि प्रतिवादीगण राज्य द्वारा पारित आदेश, नियमों के अनुरूप होने के कारण, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(5) प्रत्यर्थी संख्या 3 के वकील ने भी राज्य के समान रुख अपनाया है।

(6) विद्वानों द्वारा दिये गये निवेदनों पर विचार करने के बाद पक्षों के लिए वकील और मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद, निर्णय किए जाने वाले मुद्दे के रूप में जो सामने आता है वह है;

" क्या श्री बीर सिंह को पुनर्नियुक्ति दी गई है। 30.04 .2018 पर अपनी सेवानिवृत्ति के बाद प्रत्यर्थी संख्या 5 बीर सिंह। 01.05.2018 से 31.10.2018 तक छह महीने की अवधि के लिए 30.04.2018 (अनुलग्नक पी1) हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 31 के अनुरूप है और हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम 2016 के नियम 143 (1) अध्याय 11 की आवश्यकता को भी पूरा करता है?

(7) आगे बढ़ने से पहले, अधिनियम की धारा 31 को संदर्भित करना और पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो निम्नानुसार है:

"31. प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य:(1)जहां सरकार ने किसी सहकारी समिति की शेयर पूंजी की दस लाख रुपये या उससे अधिक की सदस्यता ली है, वहां सरकार समिति के उपनियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, धारा 29 के तहत नामित लोगों के अलावा किसी अन्य सदस्य को नामित कर सकती है और उसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकती है:

बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को सहकारी समिति के प्रबंध निदेशक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा या हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का सदस्य या सहकारी विभाग, हरियाणा का प्रथम या द्वितीय श्रेणी का अधिकारी न हो [या कोई अन्य पेशेवर जो योग्यता और अनुभव रखता हो जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है], सिवाय हरियाणा राज्य सहकारी शरम और निर्माण संघ लिमिटेड, हरियाणा हाउसिंग एपेक्स फाइनेंस सोसाइटी लिमिटेड और हरियाणा सहकारी डेयरी विकास संघ लिमिटेड के मामले में जहां तकनीकी व्यक्तियों को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है:

[बशर्ते कि किसी सहकारी बैंक के मामले में, प्रबंध निदेशक की नियुक्ति रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी और ऐसे प्रबंध निदेशक जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा।]

(ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.)

(2) उप-धारा (1) के तहत नियुक्त प्रबंध निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उप-कानूनों के तहत उसे सौंपी गई हैं या समिति द्वारा उसे सौंपी गई हैं ।वह सरकार या पंजीयक द्वारा उसे सौंपे गए उपनियमों के अनुरूप ऐसे सभी कार्यों का भी निर्वहन करता है ।वह समिति के अधीक्षण और नियंत्रण में काम करेगा।

(3) सहकारी समिति का प्रबंध निदेशक इसका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा ।सोसायटी के सभी कर्मचारी उनके पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

2016 के नियमों का नियम 143 इस प्रकार है:" 143 (1) इन नियमों में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस महीने के अंतिम दिन दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त होगा जिसमें वह अपने लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करता है या उसके द्वारा मूल या कार्यवाहक क्षमता में रखे गए पद के लिए, जैसा भी मामला हो ।हालांकि, एक सरकारी कर्मचारी जिसकी जन्म तिथि एक महीने की पहली है, वह निर्धारित आयु प्राप्त करने पर पिछले महीने के अंतिम दिन दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त होगा ।सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति की आयु कर्मचारियों के सभी समूहों के लिए अठावन वर्ष है, सिवाय निम्नलिखित के जिनके लिए वही साठ वर्ष है।

(i) विकलांग कर्मचारी जिनकी न्यूनतम अक्षमता 70 प्रतिशत और उससे अधिक है।

((ii) नेत्रहीन कर्मचारी;

((iii) समूह डी के कर्मचारी और (iv) न्यायिक अधिकारी।

किसी भी सरकारी कर्मचारी को लोक हित और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बिना, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा में नहीं रखा जाएगा।

नोट 1.एक आँख वाले कर्मचारी को इस नियम के उद्देश्य से अंधे या विकलांग व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा ।नोट 2.— जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होने वाला होता है तो कार्यालय का आदेश होगा।

जिस महीने में वह सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, उस महीने की 7 तारीख को जारी किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक आदेश की एक प्रति तुरंत प्रधान महालेखाकार, हरियाणा को भेजी जाएगी।

(2) पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) में कोई इंजीनियर-इन-चीफ नहींआर), सिंचाई विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, पुनर्नियुक्ति के बिना, पांच साल से अधिक के लिए पद धारण करेंगे, लेकिन इस पद पर पुनर्नियुक्ति जितनी बार हो सके और प्रत्येक मामले में ऐसी अवधि के लिए की जा सकती है जो पांच साल से अधिक न हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी निर्णय ले:

बशर्ते कि पुनर्नियुक्ति की अवधि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तारीख से आगे नहीं बढ़ेगी।

नोट करें।— निम्नलिखित प्राधिकारी सक्षम हैं -

अधिवर्षिता की आयु के बाद किसी सरकारी कर्मचारी को बनाए रखें:

लोक हित में और सेवानिवृत्ति की आयु के बाद असाधारण परिस्थितियों में एक सरकारी कर्मचारी को बनाए रखने की शक्ति।

प्रशासनिक विभाग

मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के साथ अधिकतम दो वर्षों के अधीन पूर्ण शक्तियाँ।

(8) अधिनियम की उपरोक्त धारा 31 का अवलोकन एक प्रबंध निदेशक नियुक्त करने के लिए सरकार की शक्तियों से संबंधित है जहां सहकारी समिति की अभिदत्त शेयर पूंजी दस लाख रुपये या उससे अधिक है।इसमें यह भी प्रावधान है कि सरकार अधिनियम की धारा 29 के तहत नामित किए जाने वाले सदस्यों के अलावा एक अतिरिक्त सदस्य को नामित कर सकती है जो प्रबंध निदेशक होगा।पहला प्रावधान सहकारी समिति के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की योग्यता से संबंधित है।इसकी शर्तों में से एक यह है कि वह हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का सदस्य होना चाहिए, लेकिन वर्ष 2006 में इस धारा में [या योग्यता और अनुभव रखने वाले किसी अन्य पेशेवर को] शामिल करने के साथ, एक व्यक्ति भी, जो एचसीएस (ईबी) का सदस्य नहीं है, लेकिन योग्यता और अनुभव रखने वाला एक पेशेवर है, जिसे निर्धारित किया जा सकता है, उसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

रोहताश सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

445

(ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.)

(9) प्रत्यर्थी संख्या 5, स्वीकृत तथ्यों के अनुसार, पहले वर्ष 2006 से 2010 तक एक प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहा था और उसके बाद, उसी पद पर 04.10.2016 से काम कर रहा था। सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 30.04.2018 तक उनकी निरंतरता को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन यह 30.04.2018 (अनुलग्नक 01.05.2018 से 31.10.2018) का आदेश है और वह भी उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, जिस पर अधिनियम की धारा 31 के विपरीत होने के कारण सवाल उठाया गया है।

अनुलग्नक पी1 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"1. हरियाणा के राज्यपाल ने श्री बीर सिंह को पुन: रोजगार देने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। बीर सिंह, एच. सी. एस., 30 अप्रैल, 2018 को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद 01.05.2018 से 31.10.2018 तक छह महीने की अवधि के लिए।

2. पुनर्नियुक्ति पर श्री बीर सिंह उपरोक्त अवधि के दौरान पानीपत सहकारी चीनी मिल, पानीपत के प्रबंध निदेशक के रूप में पदस्थापित रहेंगे।

3. उनकी पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें बाद में जारी की जाएंगी।

तारीख चंडीगढ़

डी. एस. ढेसी

21 अप्रैल, 2018

मुख्य सचिव ।सरकार को,

हरियाणा, दिनांक चंडीगढ़। 30 अप्रैल, 2018

No.17/4/2018-7SII

अप्रैल, 2018 (10) उपरोक्त पुनरुत्पादित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि कैसे उस प्रत्यर्थी संख्या 5 को सेवा में विस्तार नहीं दिया गया है, बल्कि उसे छह महीने की अवधि के लिए अपनी सेवानिवृत्ति के बाद फिर से नियुक्त किया गया है।(11) 2016 के नियमों के नियम 143 (1) के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा ।कर्मचारियों के सभी समूहों के लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है, सिवाय उन लोगों के जो उक्त नियम में निर्दिष्ट हैं ।यह भी कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा में नहीं रखा जाएगा, सिवाय जनहित और असाधारण परिस्थितियों के और वह भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बिना। 2016 के नियमों के नियम 143 का उप-नियम (2) पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग, सिंचाई विभाग और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग में मुख्य अभियंता के पद से संबंधित है और इसलिए, इस मामले के लिए प्रासंगिक नहीं होगा ।इसलिए यदि किसी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा में बनाए रखा जाना है, तो पहली आवश्यकता है।

असाधारण परिस्थितियों के साथ जनहित का पालन किया गया और वह भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी के साथ।

(12) इसलिए जिस मूल प्रश्न पर गौर करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या 2016 के नियमों के नियम 143 (1) के प्रावधानों के अनुरूप पठित अधिनियम की धारा 31 के प्रावधानों को पूरा किया गया है या नहीं?

(13) यह कहा जा सकता है कि नियम 143 के प्रावधानों को प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा उन्हें फिर से नियुक्त किए जाने के कारणों को ध्यान में रखते हुए पूरा किया गया था, जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर उत्तर से स्पष्ट है।

(14) सुविधा के लिए, सहकारिता राज्य मंत्री के 326 दिनांकित कार्यालय नोट, जैसा कि उत्तर के पैरा 4 में पुनः प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" श्री बीर सिंह, एच. सी. एस., जो वर्तमान में प्रबंध निदेशक, पानीपत सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, पानीपत के रूप में तैनात हैं, एॅम. डी. के पद से दिनांक 30 .04 .2018 को सेवानिवृत्त

होने जा रहे हैं, उन्हें 10 वर्षों से अधिक समय तक सहकारी चीनी मिल, पानीपत, रोहतक और असंध के एम. डी. के रूप में व्यापक अनुभव है और वे चीनी मिल और आसवनी इकाई के काम से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

2. पानीपत सहकारी चीनी मिल को 45 के. एल. पी. डी. डिस्टिलरी/इथेनॉल संयंत्र के साथ 18 मेगावाट के सह-उत्पादन संयंत्र के साथ 188 टी. सी. डी. से 5000 टी. सी. डी. तक बढ़ी हुई क्षमता के साथ मौजूदा स्थल से नए स्थान पर स्थानांतरित करने की परियोजना प्रगति पर है।वह शुरू से ही इस परियोजना को संभाल रहे हैं और उन्होंने गहरी रुचि लेते हुए नए चीनी परिसर के लिए डी. पी. आर./डी. एन. आई. टी. भी तैयार किया था।पानीपत चीनी मिलों के नए चीनी परिसर को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने और स्थापित करने के लिए, यह माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेगा कि श्री बीर सिंह, एच. सी. एस. को पानीपत सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशक के रूप में छह महीने के लिए या पानीपत सहकारी चीनी मिलों के नए चीनी परिसर के सफलतापूर्वक पूरा होने तक बढ़ाया जा सकता है।

(15) यह विवाद में नहीं है कि सहकारिता राज्य मंत्री की उक्त अनुरोध-सह-सिफारिश, प्रतिवादी संख्या 5 की पुनर्नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद की दिनांक 25 .09.2018 बैठक में विचार के बाद, छह महीने की अवधि के लिए पूर्व-कार्योत्तर रूप से अनुमोदित की गई थी, यानी 01.05.2018 से 31.10.2018 तक।उपरोक्त नोट का अवलोकन 2016 के नियमों के नियम 143 (1) की आवश्यकता को पूरा करेगा क्योंकि ऐसे उचित कारण हैं जिन्हें कहा जा सकता है।

(ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.)

लोक हित में होने के साथ-साथ असाधारण परिस्थितियों में भी, जिन पर मंत्रिपरिषद द्वारा विधिवत विचार और अनुमोदन किया गया है।यह केवल मंत्री की सिफारिश पर नहीं है, बल्कि सिफारिश में उन आवश्यकताओं को इंगित किया गया है जो उन्हें फिर से नियुक्त करने के लिए सार्वजनिक हित में होंगी ताकि प्रतिवादी संख्या 4 को स्थानांतरित करने की परियोजना प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।

(16) मूल प्रश्न, जो अभी भी बड़ा है, यह है कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 5 हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के सदस्य के रूप में बने रहे क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 4 चीनी मिल के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए यह बुनियादी आवश्यकता है।दिनांकित 30.04.2018 आदेश स्पष्ट रूप से बताता है कि श्री। बीर सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति पर फिर से नौकरी दी गई।यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि उन्हें सेवा में विस्तार नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हें छह महीने की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया है।सहकारिता राज्य मंत्री के कार्यालय नोट के अवलोकन से यह भी पता चलेगा कि अनुरोध उन्हें पानीपत सहकारी चीनी मिल के प्रबंध निदेशक के रूप में विस्तार देने के लिए है, जिसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।यहां तक कि दिनांकित 03.10.2018 (अनुलग्नक आर/12) के आदेश में भी जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 5, श्री . बीर सिंह प्रत्यर्थी संख्या 5 हेक्टेयर का उल्लेख एच. सी. एस. (सेवानिवृत्त) के रूप में किया गया है।इसलिए,

उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 30.04.2018 पर हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का सदस्य होना बंद कर दिया और इसलिए, एक सहकारी समिति के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 31 की आवश्यकता को पूरा नहीं करेंगे।

(17) प्रत्यर्थी संख्या 5 के वकील ने वर्ष 2006 में किए गए सम्मिलन पर जोर दिया है, जहां "योग्यता और अनुभव रखने वाले किसी अन्य पेशेवर को भी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, एक सहकारी समिति के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया है, लेकिन यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 की व्यावसायिक योग्यता क्या है जो अनुभव के अलावा होनी चाहिए क्योंकि उपयोग किया गया शब्द 'और' नहीं 'या' है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।ऐसी कोई व्यावसायिक योग्यता और अनुभव कहीं भी निर्धारित नहीं है और न ही हरियाणा राज्य द्वारा ऐसा कहा गया है।प्रत्यर्थी संख्या 5 की कोई पेशेवर योग्यता नहीं निकाली गई है या जवाब में कहा गया है जो इस खंड को उसके मामले में लागू करेगा।(18) यदि ऐसा है, तो पानीपत सहकारी चीनी मिल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में प्रतिवादी संख्या 5 की नियुक्ति, प्रतिवादी संख्या 4, क़ानून के अनुरूप नहीं होने के कारण, अवैध है और इसलिए, रद्द किए जाने के योग्य है।

(19) चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 5 पहले ही अपना छह महीने का कार्यकाल पूरा कर चुका है, इसलिए यह न्यायालय उन वित्तीय लाभों की वसूली का आदेश नहीं देगा जो उसने इन छह महीनों के दौरान इस सिद्धांत पर अर्जित किए होंगे कि उसने प्रबंध निदेशक के पद पर काम किया था, हालांकि कानून के अधिकार के बिना।हालाँकि, वह भविष्य के लिए किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा।

(20) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।श्री को नियुक्त करते हुए दिनांक 30.04.2018 (अनुलग्नक पी1) का आदेश। बीर सिंह प्रत्यर्थी संख्या 5 को प्रबंध निदेशक के रूप में रद्द कर दिया गया है।

सी. एम. No.11346-2018

(21) मुख्य रिट याचिका के निपटारे को देखते हुए, वर्तमान आवेदन को निष्फल बना दिया गया है और उसी के रूप में निपटाया गया है।

(शुभरीत कौर)

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मंजू रानी

अनुवादक